



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-07.01.2023

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 177/2018 धारा-498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रतीक झिंगरन पुत्र दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन, 2. दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन पुत्र स्व0 शिवशंकर झिंगरन, 3. पूनम झिंगरन पत्नी दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन निवासीगण-सीके 8/103 मो0 गढवासी टोला थाना चौक वाराणसी को थाना चौक के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो II वाराणसी द्वारा दिनांक-07.01.2023 को अभियुक्त प्रतीक झिंगरन (पति) को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास व धारा 304बी भादवि में अभियुक्तगण दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन (ससुर) व पूनम झिंगरन (सास) को 07 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। धारा 498ए भादवि में अभि0- प्रतीक झिंगरन को 03 वर्ष की सजा व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 498ए भादवि में अभियुक्तगण दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन व पूनम झिंगरन को 02 वर्ष की सजा तथा 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभि0- प्रतीक झिंगरन को 02 वर्ष की सजा व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण दीपक कुमार उर्फ दीपू झिंगरन व पूनम झिंगरन को 01 वर्ष 06 माह की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा जेल में बितायी अवधि सजा की अवधि में समाहित होगी।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय

जोन-काशी

कमिश्नरेट-वाराणसी।